

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या :95/2020

मुरालीलाल पुत्र श्री नाथूलाल जाति ब्राहमण निवासी किशनपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां

.....वादी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)


वकील वादी : श्री दया कृष्ण धाकड

दायरा दिनांक: 20.09.2020

निर्णय दिनांक : 12.10.2021

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी के खाते की आराजी खाता संख्या 76 खसरा नं0 315 रकबा 4.54 है0, खसरा नं0 352 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 642 रकबा 0.26 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.92 है0 वाके ग्राम किशनपुरा तहसील मांगरोल में स्थित है जो जमाबंदी सम्वत 2073-76 में वादी के नाम से दर्ज है। जिसमें वादी का नाम मुरारीलाल के स्थान पर गोविन्द मुरारी दर्ज हो रहा है वादी का वास्तविक नाम मुरारीलाल है जिसको वादी गोविन्द मुरारी के स्थान पर मुरारीलाल दर्ज करवाना चाह रहा है। वाद का नाम अन्य दस्तावेजो राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, व अन्य दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम मुरारीलाल पुत्र गोविन्द मुरारी दर्ज हो रहा है। राजस्व रेकार्ड में गोविन्द मुरारी के स्थान पर मुरारीलाल दर्ज करवाना चाहता है। अतः आराजी खाता संख्या 76 खसरा नं0 315 रकबा 4.54 है0, खसरा नं0 352 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 642 रकबा 0.26 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.92 है0 वाके ग्राम किशनपुरा तहसील मांगरोल में प्रार्थी का नाम गोविन्द मुरारी के स्थान पर मुरारीलाल दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करें।


उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 20.09.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल ने अपने पत्र क्रमांक/भू0अ0/2021/5 दिनांक 11.10.2021 से रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार ग्राम किशनपुरा की वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 76 खसरा नं0 315 रकबा 4.54 है0, खसरा नं0 352 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 642 रकबा 0.26 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.92 है0 में गोविन्द मुरारी पुत्र नाथूलाल के स्थान पर गोविन्दमुरारी उर्फ मुरारीलाल पुत्र नाथूलाल दर्ज किया जाना उचित है।


उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज0)

प्रशासन गावों के संग अभियान-2021

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो आधार पर ग्राम किशनपुरा की वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 76 खसरा नं0 315 रकबा 4.54 है0, खसरा नं0 352 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 642 रकबा 0.26 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.92 है0 में गोविन्द मुरारी पुत्र नाथूलाल के स्थान पर गोविन्दमुरारी उर्फ मुरारीलाल पुत्र नाथूलाल दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। यदि वादी के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय जैरकार हो उसके लिए वादी स्वयं जिम्मेवार होंगा। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को प्रशासन गावों के संग अभियान-2021 कोर्ट केम्प किशनपुरा मजमेंआम में सुनाया गया।


(शम्भु सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल
मांगरोल जिला पार्षद (राज०)